

111R अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
 23/11/2015 नन्दकिशोर बनाम रामस्वरूप वगैरे

तारीख
पेशी

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व ता
अहकाम उ
हुकम की त
जारी हुए

2015/00257

श्री राधेश अरोडा श्री

नन्दकिशोर बनाम रामस्वरूप वगैरेह

29.3.19

पत्रावली हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक अपीलांत की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांत की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 04.09.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2013 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांत ने उक्त आदेश दिनांक 04.09.2013 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी नोटिस अप्रार्थी संख्या 01, 02 हेतु नियत हैं। उक्त अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांत के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर